भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन
अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. ईसीआई/प्रेस नोट/17/2018 **दिनांक : 23 फरवरी, 2018**

प्रेस नोट

विषय : अप्रैल - मई 2018 में सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों की सीटें भरने हेतु राज्य सभा के द्विवार्षिक निर्वाचन और केरल राज्य से राज्य सभा का उप - निर्वाचन।

16 राज्यों से निर्वाचित राज्य सभा के 58 सदस्यों की पदावधि, अप्रैल - मई, 2018 में उनकी सेवानिवृत्ति होने पर, समाप्त होने वाली है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

राज्य का नाम	सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों की संख्या	सेवानिवृत्ति की तारीख
1) आन्ध्र प्रदेश	3	02.04.2018
2) बिहार	6	02.04.2018
3) छत्तीसगढ़	1	02.04.2018
4) गुजरात	4	02.04.2018
5) हरियाणा	1	02.04.2018
6) हिमाचल प्रदेश	1	02.04.2018
7) कर्नाटक	4	02.04.2018
8) मध्य प्रदेश	5	02.04.2018
9) महाराष्ट्र	6	02.04.2018
10) तेलंगाना	3	02.04.2018
11) उत्तर प्रदेश	10	02.04.2018
12) उत्तराखण्ड	1	02.04.2018
13) पश्चिम बंगाल	5	02.04.2018
14) उड़ीसा	3	03.04.2018
15) राजस्थान	3	03.04.2018
16) झारखण्ड	2	03.05.2018

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, श्री एम.पी.वीरेन्द्र कुमार द्वारा अपनी पदावधि, जो 02.04.2022 को शामिल करते हुए उस तारीख तक है, के समाप्त होने से पहले 20.12.2017 को त्यागपत्र दिए जाने के कारण राज्य सभा में एक आकस्मिक रिक्ति हुई है।

3. आयोग ने निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार ऊपर उल्लिखित 16 राज्यों से द्विवार्षिक निर्वाचन और केरल से राज्य सभा का उप - निर्वाचन आयोजित कराने का निर्णय लिया है:-

क्रम सं.	कार्यक्रम का विषय	तिथि एवं दिन
1.	अधिसूचना जारी करना	05 मार्च, 2018 (सोमवार)
2.	नाम निर्देशन करने की अंतिम तारीख	12 मार्च, 2018 (सोमवार)
3.	नाम निर्देशनों की संवीक्षा	13 मार्च, 2018 (मंगलवार)
4.	अभ्यर्थिताएं वापिस लेने की अंतिम तारीख	15 मार्च, 2018 (गुरूवार)
5.	मतदान की तारीख	**23 मार्च, 2018 (शुक्रवार)**
6.	मतदान का समय	पूर्वाहन 9:00 बजे से अपराहन 4:00 बजे तक
7.	मतगणना	23 मार्च, 2018 (शुक्रवार) अपराहन 5.00 बजे
8.	वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न हो जाएगा	26 मार्च, 2018 (सोमवार)

4. आयोग ने निदेश दिया है कि मतपत्र पर अधिमान(नों) को चिह्नित करने के प्रयोजनार्थ केवल रिटर्निंग आफिसर द्वारा उपलब्ध करवाए गए पूर्व-नियत विनिर्देशन वाले इंटीग्रेटेड बैंगनी रंग स्केच पैन(नों) का उपयोग किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में ऊपर उल्लिखित निर्वाचनों में किसी भी अन्य पैन का उपयोग नहीं किया जाएगा।

5. स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए प्रेक्षकों को नियुक्त करके निर्वाचन प्रक्रिया के गहन अनुवीक्षण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाएंगे।

ह./-

(पवन दीवान)

अवर सचिव